न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रयागराज

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्याः 2619 / 2026

मंजू यादव बनाम अखिलेश यादव आदि

धारा 173(4) बी.एन.एस.एस.

थाना सिविल लाइन्स, प्रयागराज

दिनॉकः 18.06.2026

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का निस्तारण

पत्रावली पेश हुई। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदिका मंजू यादव द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कथन किया गया है कि विपक्षी संख्या–1 ने आवेदिका को साकेतपुरी कालोनी में जमीन दिलवाने हेतु आवेदिका व उसके पति को जमीन दिखाया। कुछ दिन बाद उक्त जमीन को दिखलाने के लिए आवेदिका के छोटे भाई बबलू यादव व आवेदिका के पति को लेकर जमीन दिखलाने ले गये। विपक्षीगण ने बताया कि जमीन पाक साफ है उसमें किसी प्रकार का विवाद नही है। आवेदिका द्वारा विपक्षीगण के आश्वासन व विश्वास करके ग्यारह लाख रूपये में जमीन को क्रय करने सौदा हुआ और पचास हजार रूपये बतौर एडवान्स विपक्षी संख्या–1 को आवेदिका ने अपने पति के सामने दिया। विपक्षी संख्या–1 ने उक्त पचास हजार रूपये जमीन के मालिक पाठक को दे देगे पाठक के बेटी की शादी पड़ी हुई है। विपक्षी सं0–1 ने कुछ दिन बाद बाकी पैसे की मॉग किया जिस पर विपक्षी संख्या–1 ने कहा कि खाते में पैसा दे दीजिए जोकि एक प्रमाण रहेगा इस पर आवेदिका ने विपक्षी संख्या–1 के खाते में जमीन के लिए कुल565017.02पैसे स्थानान्तरित कर दिया। उक्त धनराशि प्राप्त करने के बाद विपक्षी संख्या–1 ने आवेदिका से कहा कि दिनॉक 06.11.2025 को जमीन की रजिस्ट्री जो जायेगी। नियत तिथि पर विपक्षी संख्या–1 ने जमीन के मालिक पाठक से फोन पर बात करवाया जिन्होने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही हम रजिस्ट्री कर देगे। जमीन की रजिस्ट्री करने में विपक्षीगण हीलाहवाली करते चले आ रहे है तब आवेदिका ने जमीन खरीदने से मना कर दिया और अपना पैसा वापस मॉगा जिस पर विपक्षीगण ने पैसा वापस करने से इंकार कर दिया और कहा कि अब न तो पैसा वापस करेगे और न जमीन की रजिस्ट्री करेगे। आवेदिका ने घटना की सूचना दिनॉक 02.05.2026 को थाना सिविल लाइंस व पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को पंजीकृत डाक से दिया परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। उक्त के आधार पर आवेदिका द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध संबंधित थाने में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराए जाने की याचना की गई।

सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदिका द्वारा विपक्षीगण पर जमीन का सौदा करके मु0565017.02पैसे लेने तथा बाद में जमीन न तो रजिस्ट्री करने व पैसा वापस करने का आरोप अभिकथित किया है। प्रार्थनापत्र के कथनों से स्पष्ट है कि आवेदिका को समस्त तथ्यों की जानकारी है, तथा पुलिस से विवेचना कराये जाने से कोई नया तथ्य प्रकाश में आने की संभावना नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा प्रकरण की स्वंय जॉच किया जाना समीचीन प्रतीत हो रहा है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत **माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा जोसेफ माधुरी एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरि साक्षी 2001 सप्लीमेन्ट्री ए0सी0सी0 पेज 957** तथा **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा राम बाबू गुप्ता एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य 2001 (43) ए0सी0सी0 50 पूर्णपीठ एवं सुखबासी बनाम उ0प्र0 राज्य 2007 (9)ए0डी0जे0–1(डी0बी0)** में पारित दिशा निर्देशों के प्रकाश में तथा इसी परिप्रेक्ष्य में **माननीय उच्च न्यायालय (लखनऊ खण्डपीठ) द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 संख्या 10390/2024 प्रतीक अग्रवाल बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एंव अन्य के मामले में पारित आदेश दिनॉकित 26.11.2024** के आलोक में परिवादी का बयान अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. में दर्ज करने के उपरान्त तलबी के पूर्व विपक्षीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अतः प्रश्नगत प्रकरण को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 परिवाद के रूप में दर्ज हो। विपक्षीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. हेतु 07.07.2026 को पेश हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रयागराज।